उत्तर प्रदेश होम—गार्ड्स अधिनियम, 1963 {उ०प्र० अधिनियम संख्या 29, 1963}

THE UTTAR PRADESH HOME GUARDS ADHINIYAM, 1963 [U. P. Act No. XXIX of 1963]

उत्तर प्रदेश होम—गार्ड्स अधिनियम, 1963¹ {उ०प्र० अधिनियम संख्या 29, 1963}

उ०प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1972 द्वारा संशोधित

्उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 सितम्बर, 1963 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने संशोधन सिहत दिनांक 18 दिसम्बर, 1963 ई0 तथा पुनः तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने संशोधन सिहत दिनांक 23 दिसम्बर, 1963 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 30 दिसम्बर, 1963 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 31 दिसम्बर, 1963 ई0 को प्रकाशित हुआ।}

उत्तर प्रदेश में होम-गार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के नाम से एक संघटन की व्यवस्था की जाये, जिसकी सेवाओं का उपयोग आपातकाल में विभिन्न कर्तव्यों के लिये किया जा सकें और जो शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल सहायक के रूप में काम कर सके।

प्रस्तावना

अतएव भारतीय गणराज्य के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है——

1——(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम—गार्ड्स अधिनियम, 1963 कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
- (3) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

2--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में--

परिभाषायें

- {(क)''जिला कमान्डेन्ट'' से तात्पर्य किसी जिले में होम—गार्ड्स के समादेशधिकारी से है ;}²
- (ख) होम-गार्ड्स के रूप में ''कर्तव्य'' और ''सेवा'' के अन्तर्गत इस रूप में प्रशिक्षण लेना भी है ;
- (ग) असार्वजनिक सेवाओं के संबंध में "सेवायोजक" का तात्पर्य नियोजक से है, और इसके अन्तर्गत उसका अधिकृत एजेन्ट या प्रबंधक भी है, और निगम, फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ की दशा में, इसके अन्तर्गत उसका निदेश, भागीदार प्रबंधक, सचिव या अन्य व्यक्ति भी है, जो किसी निर्दिष्ट समय में उसके कारोबार के संचालन के लिये प्रभारी हो या उसके प्रति उत्तरदायी हो;
- (घ) ''अत्यावश्यक सेवाओं'' का तात्पर्य मोटर परिवहन, अग्रगामी एवं अभियंत्रण दल, उपचार, प्राथमिक चिकित्सा, जल एवं विद्युत सम्भरण अधिष्ठान का परिचालन और ऐसी अन्य सेवाओं से है, जो राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक जीवन के लिये आवश्यक विज्ञापित की जायें;
- (ङ) ''होम–गार्ड्स'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जो इस रूप में भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारी भी है ;

^{1.} उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 9 सितम्बर 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये;

^{2.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ४, 1972 ई० की धारा २(1) द्वारा रखे गये ।

धारा 3-6}

- (च) ''पुलिस'' का वही तात्पर्य होगा, जो पुलिस ऐक्ट, 1861 में शब्द (police) के लिये दिया गया हो ;
- (छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

ऐक्ट सं0 5 1861

- (ज) ''असार्वजनिक सेवाओं'' का तात्पर्य राज्य के अधीन सेवा से भिन्न किसी सेवा से है ;
 - (닭) {***}¹
- (ञ) ''राज्य के अधीन सेवा'' का तात्पर्य 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 12 में यथापरिभाषित ''राज्य'' के अधीन सेवा से है और इसके अतिरिक्त परिनियत निगमों के अधीन सेवा से है ;
 - (ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ;
 - (ਰ) {***}¹

3— उत्तर प्रदेश होम–गार्ड्स के नाम से जिसे आगे "होम–गार्ड्स" कहा गया है, एक स्वयं सेवक दल का निर्माण और अनुरक्षण किया जायेगा और ऐसी रीति से संघटित किया जायेगा जो नियत की जायेगी । होम-गार्ड्स का संघटन

4-- होम-गार्ड्स के निम्नलिखित कृत्य होगें :-

कृत्य

- (क) वे पुलिस दल के सहायक के रूप में काम करेंगे और अपेक्षा किये जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करेंगे ;
- (ख) वे हवाई हमलों, आग लगने, बाढ़ आने, महामारी फैलने और अन्य आपातों के समय लोक—समाज की सहायता करेगें ;
- (ग) वे ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिये, जो नियत किये जायें, आपातकालीन दल के रूप में कार्य करेगें :
 - (घ) वे अत्यावश्यक सेवाओं के लिये कार्यात्मक इकाईयों की व्यवस्था करेगें ;
- (ङ) वे लोक कल्याण के किसी कार्य से सम्बद्घ ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगें, जो नियत किये जायेगें।

5— राज्य सरकार, होम—गार्ड्स के कमान्डेंट जनरल, जिसे आगे ''कमान्डेंट जनरल'' कहा गया है और अन्य अधिकारियों को ऐसी शर्तों पर नियुक्त करेगी, जो नियत की जायें । कमान्डेंट जनरल और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

6-- (1) होम-गार्ड्स का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।

होम–गार्ड्स का अधीक्षण और प्रशासन

(2) सम्पूर्ण राज्य होम—गार्ड्स का प्रशासन कमान्डेंट जनरल में निहित होगा, सिवाय किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र के संबंध में, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ विज्ञप्ति द्वारा अपवर्जित कर दे, इस प्रकार अपवर्जित किसी स्थानीय क्षेत्र के होम—गार्ड्स का प्रशासन करने के लिये नियुक्त कोई अधिकारी उस क्षेत्र के संबंध में उसी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग करेगा, जिसका कमान्डेंट जनरल राज्य के शेष भाग में करें।

(धारा 7-9)

- {(3) जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुये, किसी जिले में होम-गार्ड्स का प्रशासन जिला कमान्डेंट में निहित होगा और उसके द्वारा किया जायेगा।}1
- 7— (1) ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जो नियत की जाये, कोई व्यक्ति जो होम—गार्ड्स के रूप में भर्ती होने का इच्छुक हो, नियम प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देगा। यदि ऐसा प्रार्थी असार्वजनिक सेवा में हो तो वह उक्त प्रार्थना पत्र अपने सेवायोजक के माध्यम से या यदि वह राज्य के अधीन सेवाओं में हो तो उन प्राधिकारी के माध्यम से देगा, जो उसे दल में सम्मिलित होने की अनुमित देने के लिये सक्षम हो ।

भर्ती आदि

- (2) होम–गार्ड्स को औपचारिक रूप से भर्ती किया जायेगा और भर्ती हो जाने पर वह प्रथम अनुसूची के प्रपत्र में घोषणा करेगा और द्वितीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र में नियुक्ति का प्रमाण पत्र पावेगा, जिस पर ऐसे अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होगें, जो नियत किया जाये और जिसके आधार पर उसे होम–गार्ड्स के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों से निहित किया जायेगा तथा उसे होम–गार्ड्स के कर्तव्यों का पालन करना होगा ।
 - (3) होम–गार्ड्स के अधिकारी और अन्य सदस्य ऐसी वर्दी पहनेगें, जो नियत की जाय।
- 8— इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये—

होम-गार्ड्स को बुलाना

- (क) {जिला मजिस्ट्रेट या जिला कमान्डेंट} आदेश द्वारा जिले में तैनात किसी इकाई से सम्बद्ध किसी होम—गार्ड्स को जिले के भीतर किसी क्षेत्र में काम के लिये बुला सकता है ;
- (ख) होम—गार्ड्स का कमान्डेंट जनरल या ऐसा अन्य अधिकारी, जो उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया जाये, किसी होम—गार्ड्स को राज्य के किसी भाग में अथवा राज्य के बाहर काम के लिये बुला सकता है।
- 9— (1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुये, जब कोई होम—गार्ड धारा 8 के अन्तर्गत पुलिस के सहायक के रूप में काम करने के लिये या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिये बुलाया जाये, तो उसे वही अधिकार, अविशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा, जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हो और ऐसे अनुमेलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करें, उस पर पुलिस ऐक्ट, 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू होंगे मानो ऐसा होम—गार्ड्स पुलिस दल में तद्नुरूप पद धारण किया था, जो वह तत्समय होम—गार्ड्स में किये हुये हैं।
- (2) होम-गार्ड्स के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने में उसके द्वारा किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में किसी होम-गार्ड के विरूद्ध कोई अभियोजन तब तक, न चलाया जायेगा जब तक कि उस क्षेत्र पर जहां होम-गार्ड भर्ती किया गया हो या जहां उक्त कार्य किया गया हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमित न ले ली जाये।

होम–गार्ड्स के अधिकार ऐक्ट सं05, 1963

^{1.} उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ४, 1972 ई० की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

^{2.} उपर्युक्त की धारा 4 द्वारा रखा गया ।

धारा 10-12}

10— इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने वाला होम—गार्ड इण्डियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा । होम–गार्ड्स लोक सेवक होगें, किन्तु असैनिक सेवक नहीं होगें

स्पष्टीकरण— होम—गार्ड्स के रूप में अपनी भर्ती होने के कारण होम—गार्ड असैनिक पद धारण करने वाला न समझा जायेगा । ऐक्ट सं0 45, 1960

11— (1) होम—गार्ड, एतदर्थ बनाये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक होम—गार्ड्स की किसी ऐसी इकाई में सेवा करने के लिये बाध्य होगा, जिससे वह तत्समय सम्बद्ध हो ।

सेवा करने का अधिकार

- (2) आरम्भिक अवधि, जिसमें होम—गार्ड से सेवा करने की अपेक्षा की जा सकती है, उसकी भर्ती के दिनांक से तीन वर्ष होगी। यह अवधि उसकी नियत रीति से लेखबद्ध सहमति से बढायी जा सकती है।
- (3) प्रत्येक होम—गार्ड्स में नियत रीति से काम के लिये बुलाया जाये, राज्य के किसी भाग में सेवा करने के लिये बाध्य होगा। किसी भी होम—गार्ड से राज्य के बाहर सेवा करने की जब तक अपेक्षा न की जाये कि तब तक कि उसमें ऐसी सेवा के लिये नियत रीति से अपनी सहमित न दे दी हो।
- (4) काम के लिये बुलाये गये होम—गार्डों को ऐसा दैनिक भत्ता दिया जायेगा, जो नियत किया जाये ।
- (5) होम–गार्ड्स का साधारणतया उन क्षेत्र में, जहां वे भर्ती किये गये हों, सेवा करने के लिये और केवल अंशकालिक काम के लिये बुलाया जायेगा ।
- 12— (1) कमान्डेंट जनरल या एतदर्थ नियत कोई अन्य अधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार होम—गार्ड्स के किसी सदस्य को सेवोन्मुक्त या निलम्बित करने का अधिकार होगा। कोई होम—गार्ड ऐसे अधिकारी को, जो नियत किया जाये, एक मास का नोटिस देकर दल से त्याग—पत्र दे सकता है।

सेवान्मुक्ति, निलम्बन और त्यागपत्र

- (2) अन्तिम पूर्वगत उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुये प्रत्येक होम—गार्ड धारा 11 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर होम—गार्ड से अपनी सेवोन्मुक्ति पाने का हकदार होगा ।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी कारण से होम–गार्ड्स का सदस्य न रह जाये, कमान्डेंट जनरल को या ऐसे अधिकारी को ऐसे स्थान पर जो नियत किया जाये या जिन्हें कमान्डेंट जनरल निदेशित करें, अपनी नियुक्ति का प्रमाण पत्र और शस्त्रास्त्र, साज–सज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुयें, जो उसे ऐसे सदस्य के रूप में दिये गये हो, तुरन्त लौटा देगा ।
- (4) कोई मजिस्ट्रेट, इस प्रकार लौटाये गये किसी प्रमाण-पत्र और शस्त्रास्त्र, साज-सज्जा, वस्त्र और अन्य वस्तुओं की, जहां-जहां भी वे पाये जाये, तलाशी लेने और उन्हें अधिगृहित करने के लिये वारंट जारी कर सकता है। इस प्रकार जारी किया गया प्रत्येक वारंट कोड आफ किमिनल प्रोसीजर, 1898 के उपबंधों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा, अथवा यदि वारंट जारी करने वाला मजिस्ट्रेट इस प्रकार निदेश दे तो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, निष्पादित किया जायेगा।

ऐक्ट सं0 5, 1898

(5) इस धारा की कोई बात किसी ऐसी वस्तु पर लागू न समझी जायगी, जो कमान्डेंट जनरल के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन उस व्यक्ति की सम्पत्ति हो गयी हो, जिसे वह दी गयी थी ।

धारा 13-14}

13-- (1) यदि कोई होम-गार्ड --

शास्तियाँ

- (क) धारा 8 के अधीन काम पर बुलाये जाने पर उपस्थित न हो; या
- (ख) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी या अन्य सक्षम अधिकारी के लिये किसी वैध आदेश या निदेश का बिना पर्याप्त कारण करने में उपेक्षा करें या इंकार करें या जब वह काम पर हो तो होम—गार्ड्स के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करें; या
 - (ग) अपना पद अभित्यक्त कर दें ; या
 - (घ) कायरता का दोषी हो : या
- (ङ) अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के साथ अनमुक्त शारीरिक बल प्रयोग करें :

तो वह प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सिद्धदोष ठहराये जाने पर किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डित होगा, जो तीन मास तक की अवधि का हो सकता है या अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो दो सौ रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा।

- (2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझ कर धारा 12 की उपधारा (3) का पालन करने में उपेक्षा करें या उसका पालन न करें तो वह सिद्धदोष टहराये जाने पर किसी भी प्रकार के, कारावास के दण्ड से दण्डित होगा, जो तीन मास की अविध तक हो सकता है या अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो दो सौ रूपये तक हो सकता है अथवा दोनों से दण्डित होगा ।
- (3) कमान्डेंट जनरल या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो एतदर्थ नियत किया जाय, पूर्व स्वीकृति के बिना उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई अभियोजन न चलाया जायेगा ।
- (4) {जिला कमान्डेंट} के प्रतिवेदन पर पुलिस अधिकारी किसी वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उपधारा (1) या (2) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियुक्त हो ।
- (5) जब अधिकारी के भिन्न होम—गार्ड्स का सदस्य उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध करता है तो {जिला कमान्डेंट} या ऐसा अन्य अधिकारी जो नियत किया जाय, जिसके अधीनस्थ उक्त सदस्य तत्समय काम कर रहा हो, यह निदेश दे सकता है कि दोषारोपण पर औपचारिक सुनवाई के बिना कार्यवाही की जायेगी और तदुपरान्त उक्त कमान्डेंट या अन्य उसे निम्नलिखित में से कोई एक या एक से अधिक दण्ड दे सकता है, अर्थात्—
 - (क) दो दिन से अनधिक अवधि के लिये ऐसे स्थान पर अवरोध, जो उपयुक्त समझा जाय :
 - (ख) सात दिन से अनधिक अवधि के लिये क्वार्टरों में अवरोध सहित या अवरोध रहित दण्डस्वरूप कवायद (ड्रिल), अतिरिक्त कार्य, कठोर परिश्रम (फेटीग) या अन्य काम ; और
 - (ग) भत्तों की जब्ती ।

14— (1) उस स्थिति के अधीन रहते हुये जो नियत की जाय, प्रत्येक सेवायोजक ऐसे होम—गार्ड को जो तत्समय उसके द्वारा या उसके अधीन सेवायोजित किया जा रहा हो, होम—गार्ड्स के रूप में अपना कार्य ग्रहण करने की अनुमित देगा और किसी प्रचलित विधि या ऐसे अनुबंध में, जो उसके और ऐसे होम—गार्ड्स के बीच हो, किसी बात के होते हुये भी उसकी कार्य अविध ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जाये, ऐसे सेवायोजन में व्यतीत की गयी अविध समझी जायेगी।

होम—गार्ड को कार्य ग्रहण करने की अनुमति देने पर सेवायोजक का दायित्व

¹ उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 4, 1972 ई0 की धारा 5 (1) द्वारा रखे गये ।

² उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा रखे गये ।

(धारा 15)

- (2) कोई भी सेवायोजक किसी कर्मचारी को उसके होम—गार्ड्स का सदस्य होने के कारण न तो पदच्युत करेगा, न हटायेगा, न उसे निलम्बित करेगा और न कोई ऐसी अन्य कार्यवाही करेगा जो ऐसे कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले ।
- (3) जो कोई धारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दिण्डत किया जायेगा, जो दो सौ पचास रूप्ये तक हो सकता है और जिस न्यायालय द्वारा सेवायोजक इस धारा के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जाये वह सेवायोजक को यह भी आदेश दे सकता है कि वह उक्त कर्मचारी का उस दर पर, जिस पर उसका अन्तिम पारिश्रमिक सेवायोजक द्वारा उसे देय था या तीन मास से अनिधक के पारिश्रमिक का भुगतान करें और भुगतान किये जाने के लिये न्यायालय द्वारा इस प्रकार दिये गये आदेश की कोई धनराशि उसी प्रकार वसूली की जा सकेगी मानो वह ऐसे न्यायालय द्वारा आरोपित अर्थदण्ड हो।
- (4) इस धारा की कोई बात किसी सेवायोजक पर तब तक लागू न होगी जब तक कि उसने सम्बद्द कर्मचारी का होम—गार्ड्स के सदस्य के रूप से भर्ती होने के लिये प्रार्थना पत्र देते समय होम—गार्ड्स का सदस्य होने की सूचना न दे दी हो ।
- 15—— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये इसके उपबंधों को सामान्यतः प्रभावी बनाने के लिये नियम बना सकती है ।

नियम और विनियम बनाने का अधिकार

- (2) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित विशयों में से सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है या उन्हें विनियमित किया जा सकता है, अर्थात्—
 - (क) होम–गार्डो का संघटन, उनकी अर्हतायें, भर्ती की रीति, स्वास्थ्य परीक्षा, कृत्य, अनुशासन, शास्त्रास्त्र, साज–सज्जा, वस्त्र और वर्दी और रीति, जिसके अनुसार वे सेवा के लिये बुलाये जायें या उनसे प्रशिक्षण लेने की अपेक्षा की जाये ;
 - (ख) धारा 9 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिये होम—गार्डी द्वारा पुलिस अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करना और होम—गार्डी तथा पुलिस कर्मचारियों के बीच पदों की अनुरूपता ;
 - (ग) शर्ते, जिसके अधीन कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके किसी विशेष उपबंधों के अधीन किसी आभार या दायित्वों से मुक्त किया जा सकता है ;
 - (घ) इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों और कृत्यों का कमान्डेंट जनरल और अन्य प्राधिकारियों को प्रतिनिधान ; और
 - (ङ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन नियत किया जाना हो या जो नियत किया जाये ।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अविध पर्यन्त रखे जायें और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यों (Annulments) के अधीन रहते हुये प्रभावी होगें, जो विधान मंडल के सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(अनुसूची)

प्रथम अनुसूची

\ નાન / (2) }	
घोषणा का प्रपत्र	
मैं	ाम—गार्ड्स के सदस्य के रूप में कारी से ग्रहण किया है। भर्ती ये, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण में से राज्य सरकार द्वारा बढ़ायी चन देता हूँ कि मैं बढ़ाई गयी में किसी भी समय या किसी भी गर बुलाया गया । मैं होम—गार्ड ानकारी से करूँगा और अपने
	हस्ताक्षर ।
पता	
द्वितीय अनुसूची	
(भाग 7 (2) }	
नियुक्ति के प्रमाण पत्र का प्रपत्र	
मैं	ा 7 (2) के अधीन उत्तर प्रदेश इ वैधता काम पर हो तो पुलिस बनाये रखने में सहायता करने जर और संरक्षण प्राप्त होगें, जो लेस के तदनुरूप पद के किसी रों के अधीन रहते हुये हो राज्य
	ति का दिनांक
स्थान	
दिनांक नियत अ	धिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

THE UTTAR PRADESH HOME GUARDS ADHINIYAM, 1963¹ [U. P. Act No. XXIX of 1963]

Amended by U. P. Act No. 4 of 1972

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on September 24, 1963, by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 18, 1963 with the amendments and again passed by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 23, 1963 with the amendments made by the Legislative Assembly.

Received the assent of the Governor on December 30, 1963 under Article 200 of 'the Constitution of India' and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated December 31, 1963]

AN ACT

to provide for the constitution of the Home Guards in Uttar Pradesh.

WHEREAS it is expedient to provide for the constitution of a force known as the Uttar Pradesh Home Guards for utilizing its services for duties in times of emergency and serving as an auxiliary to the police for the maintenance of law and order;

IT IS HEREBY enacted in the Fourteenth Year of the Republic of India as follows:

Short title, extent and commencement

- . (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Home Guards Adhiniyam, 1963.
 - (2) It shall extend to the whole of Uttar Pradesh.
 - (3) It shall come into force at once.

Definition

- 2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context --
 - [(a) "District Commandant" means the Officer commanding the Horne Guards in a district;]²
 - (b) "duty" or "service" as home guard shall include the undergoing of training as such;
 - (c) "employer" means an employer in relation to private service, and includes his authorized agent or manager and in the case of a corporation, firm or other association of individuals, includes its director, partner, manager, secretary or other persons in charge of or responsible to it for the conduct of its business at any given time;
 - (d) "essential services" means motor transport, pioneer and engineering corps, fire brigades, nursing, first-aid, operation of water and power supply installations, and such other services as may be notified by the State Government as being essential to the life of the community;
 - (e) "Home guard" means a person who is enrolled as such, and includes an officer appointed under this Act;

I. For statement of Objects and Reasons, see Uttar Pradesh Gazette, extraordinary, September 9, 1963.

^{2.} Subs. by section 2(i) of U. P. Act No. IV of 1972.

[Section 3-6]

- (f) "police" shall haw the same meaning as assigned to the word in the Police Act, 1861;
 - (g) "Prescribed" means prescribed by rules framed under this Act;
- (h) "private service" means any service other then service under the State;
 - (i) $[***]^1$
- (j) "service under the State" means service under the State as defined in Article 12 of 'the Constitution of India' and includes service under any statutory corporation;
 - (k) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh; and
 - $(1) [***]^1$

Constitution of Home Guards

3.

5.

There shall be raised and maintained a volunteer force to be designated the Uttar Pradesh Home Guards, hereinafter called the Home Guards and it shall be constituted in the manner prescribed.

Functions

- 4. The Home Guards will have the following functions :--
 - (a) they will serve as auxiliary to the police, and when required help in maintaining public order and internal security;
 - (b) they will help the community in air' raids, fires, floods, epidemics and other emergencies;
 - (c) they will function as an emergency force for such special tasks as may be prescribed;
 - (d) they will provide functional units for essential services; and
 - (e) they will perform such other duties relating to any measure of public welfare as may be prescribed.

Appointment of commandant - General and other officers

The State Government shall appoint a Commandant-General of Home Guards, hereinafter called the Commandant-General, and other officers of such terms and conditions as it any be prescribed.

Superintendence and administration of Home Guards

- 6. (1) The superintendence of the Home Guards shall vest in and be exercised by the State Government.
 - (2) The administration of the Home Guards throughout the State shall vest in and be exercised by the Commandant-General except in relation to any local area that may be excluded by notification by the State Government in this behalf, and any officer appointed to administer the Home Guards of any local area so excluded shall exercise in relation to that area the like powers as the Commandant-General exercises in the rest of the State.

[The Uttar Pradesh Home Guards Adhiniyam, 1963]

7.

[Section 7-9]

[(3) Subject to the general control and direction of the District Magistrate, the administration of the Home Guards in a district shall vest in and be exercised by the District Commandant.]¹

Enrolment etc.

- (1) Subject to such conditions as may be prescribed, any person desiring to be enrolled as home guard shall make in application in the prescribed form. If such applicant is in private service he shall make such application through his employer, or if in services under the State, through the authority competent to grant him permission to join the force.
- (2) A home guard shall be formally enrolled and on enrolment make a declaration in the form set out in the First, Schedule and receive a certificate of appointment in the form set out in the Second Schedule under the seal and signature of such officer as may be prescribed, by virtue of which he shall be vested with the powers and privileges and be subject to the duties of a home guard.
- (3) Officer and other members of the Home Guards shall wear such uniforms as may be prescribed.

Calling out of Home Guards

Subject to the provisions of this Act and the rules made there under ---

- (a) [the District Magistrate or the District Commandant]² may by order call out any home guard attached to a unit posted in the district for duty in any area within that district;
- (b) the Commandant-General or such officer of the Home Guards as may be authorized by him in this behalf may call out any home guard for duty in any part of the State or outside the State.

Powers, privileges and protection of Home Guards

- 9. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, a home guard when called out under section 8 to serve as auxiliary to the police or to help in maintaining public order or internal security, shall have the same powers, privileges and protection as a member of the police force appointed under any enactment for the time being in force, and shall subject to such adaptations and modifications, as may be made therein by the State Government by notification in the Gazette, be subject to the provisions of the Police Act, 1861, and the rules or regulations made thereunder in the same manner and to the same extent as he would, if such home guard held a responding rank in the police force to the one he holds for the time being in the Home Guards.
 - (2) No prosecution shall he instituted against a home guard in respect of anything done or purporting to be done by him in the discharge of his duty as a home guard, except with the previous sanction of the District Magistrate having jurisdiction over the area in which the home guard was enrolled or in which the act was committed.

^{1.} Substituted by section 3 of U.P. Act No. 4 of 1972.

^{2.} Substituted by section 4 ibid.

[The Uttar Pradesh Home Guards Adhiniyam, 1963]

10.

[Section 10-12]

Home Guards to be public servants but not civil servants Act 45 of 1860 A home guard acting in the discharge of his functions under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Explanation -- A home guard shall not be deemed to be a holder of a civil post merely by reasons of his enrolment as home guard.

Liability for services

- 11. (1) Subject to any rules made in this behalf, a home guard shall be bound to serve in any unit of the Home Guards to which he is, for the time being attached.
 - (2) The initial period during which a home guard may be required to serve shall be three years from the date of his enrolment. This period may be extended with his consent recorded in the prescribed manner.
 - (3) Every home guard shall be liable to serve, when called out in the prescribed manner, for duty in any part of the State. No home guard shall be required to render service outside the State unless he has given his consent in the prescribed manner for such service.
 - (4) The home guards called out for duty may be paid such allowances as may be prescribed.
 - (5) The home guards will ordinarily be called out to serve in the areas of their enrolment and only for part-time duty.

Discharge, suspension and resignation

- 12. (1) The Commandant-General or any other officer prescribed in this behalf shall have the authority to discharge or suspend any member of the Home Guards in accordance with the rules made in this behalf. A home guard may resign from the force after giving one month's notice delivered to such officer as may be prescribed.
 - (2) Subject to the provisions of the last preceding sub-section, every Home guard shall be entitled to receive his discharge from the Home Guards on the expiration of the period specified in sub-section (2) of section 11.
 - (3) Every person who for any reason ceases to be a member of the Home Guards, shall forthwith diver up to the Commandant-General or to such officer and at such place as may be prescribed or as the Commandant-General may direct, his certificate of appointment and the arms, accourtements, clothing and other articles which may have been received by him as such member.
 - (4) Any magistrate may issue a warrant to search for and seize wherever they may be found any certificate, arms, accoutrements, clothing or other articles not so delivered up. Every warrant so issued shall be executed in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, by a police officer, or, if the magistrate issuing the warrant as directs, by any other person.
 - (5) Nothing in this section shall be deemed to apply to any article which under any general or special order of the Commandant-General has become the property of the person to whom the same was furnished,

[Section 13-14]

Penalties

- 13. (1) If a home guard-----
 - (a) fails to report himself when called out for duty under section 8; or
 - (b) without sufficient excuse neglects or refuses to obey any lawful order or direction of his superior officer or other competent authority or fails to discharge his function as a member of Home Guards while on duty;
 - (c) deserts his post; or
 - (d) is guilty of cowardice; or
 - (e) offers any unwarranted personal violence to any person in his custody;

he shall, on conviction by a magistrate of the first class, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both.

- (2) If any person willfully neglects or fails to comply with sub-section (3) of section 12, he shall on conviction, be punished with imprisonment of either description for a term in which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both.
- (3) No prosecution shall be instituted under sub-section (1) or (2) without the previous sanction of the Commandant-General or such other officer as may be prescribed in this behalf.
- (4) On a report of [the District Commandant]¹ a police officer may arrest without a warrant any person accused of an offence punishable under sub-section (1) or (2).
- (5) When a member of the Home Guards other than an officer commits an offence punishable under sub-section (1) [the District Commandant]² or such other officer as may be prescribed, under whom the member is for the time being serving may direct that the charge shall be dealt with without formal trial and thereupon the said Commandant or other officer may in the prescribed manner award to him anyone or more of the following punishments; namely: --
 - (a) confinement in such place as may be considered suitable for a period not exceeding two days;
 - (b) punishment drill, extra work, fatigue or other duty not exceeding seven days in duration, with or without confinement to quarters; and
 - (c) forfeiture of allowances.

Obligation of employer to permit Home Guards to join duty 14. (1) Except as may be prescribed, every employer shall permit a home guard who is for the time being employed by or under him to join his duty as such, and notwithstanding anything any law or agreement between him and such home guard in force, the period of his duty shall, subject to such conditions and. restrictions as may be prescribed, be deemed to be the period spent in such employment.

^{1.} Substituted by section 5 (i) of U.P. Act No.4 of 1972.

^{2.} Subs. by section 5 (ii) ibid.

[Section 15]

- (2) No employer shall dismiss, remove or suspend any employee, or take any other action which may prejudice such employee, by reason of his being a member of the Home Guards.
- (3) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) or (2) shall be punished with fine which may extend to two hundred and fifty rupees, and the court by which an employer is convicted under this section may further order him to pay to the employee a sum not exceeding three months remuneration at the rate at which his last remuneration was payable to him by the employer, and any amount so ordered to be paid by the court shall be recoverable as if it were a fine imposed by such court.
- (4) Nothing in this section shall apply to an employer unless he had forwarded the application of the employee concerned for enrolment as Home Guard or been informed by the employee of his being a Home Guard at the time of applying for employment.

Power to make rules and regulation

- 15. (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act and for giving effect to its provisions generally.
 - (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for or regulate all or any of the following matters; namely:--
 - (a) the organization, qualifications, manner of enrolment, medical examination, functions, discipline, accourrements, clothing and uniform of home guards and the manner in which they may be called out for service or required to undergo training;
 - (b) exercise by home guards of the powers of a police officer and the correspondence of ranks between home guard and police personnel for purposes of sub-section (1) of section 9;
 - (c) the conditions subject to which any person may be, exempted from any obligation or liability under this Act or any particular provision thereof;
 - (d) the delegation of the powers and functions conferred by his Act on the State Government to the Commandant-General and other authorities; and
 - (e) any other matter which under this Act is to be or may be prescribed.
 - (3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of not less than fourteen days extending in its one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the Gazette subject to such modifications or annulments as the Houses of the Legislature may agree to make, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

[Schedule]

FIRST SCHEDULE [Section 7(2)]

Form of Declaration

I,
Signature.
ADDRESS
SECOND SCHEDULE [Section 7(2)] Form of Certificate of Appointment
Name, son of
Date of appointment
PLACE
DATE
Signature and seal of the Prescribed Officer